

प्रेषक,

जी0एस0 नवीन कुमार,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 2- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।
- 3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।
- 4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ताज एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण, गाजियाबाद।
- 5- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा।
- 6- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा, गोरखपुर।
- 7- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सीडा जौनपुर।
- 8- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बीडा, भदोही।
- 9- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, लीडा, लखनऊ।
- 10- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0, कानपुर।
- 11 - प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0, कानपुर।
- 12- आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 13- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1

लखनऊ: दिनांक 21 नवम्बर, 2014

विषय: उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 के अध्याय-6: के अन्तर्गत
ई0एस0डी0एम0 उद्योग आदि की परिभाषा के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश और देश के समग्र आर्थिक विकास के लिए उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण उद्योग को प्रोत्साहित एवं विकसित कर उत्तर प्रदेश को एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी, उद्योग मित्रवत इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण एवं व्यावसायिक वातावरण का निर्माण किये जाने तथा राज्य में इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना किये जाने, राज्य में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश एवं रोजगार के अवसर को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-870/78-1-2014-87आई0टी0/2014, दिनांक 29 अगस्त, 2014 द्वारा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 प्रख्यापित की गयी है।

इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 के अध्याय-6 के अन्तर्गत शब्दावली ई0एस0डी0एम0 उद्योग आदि की परिभाषा अंगीकृत की जाती हैं:-

1 ई.एस.डी.एम. उद्योग

ई.एस.डी.एम. - इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम डिजाइन एवं मैनुफैक्चरिंग उद्योग है जिसके अन्तर्गत निम्नवत् मुख्य घटक सम्मिलित किन्तु यहीं तक सीमित नहीं हैं:-

इलेक्ट्रानिक्स उत्पाद

- क मोबाइल उपकरण: मोबाइल हैंडसेट
- ख दूरसंचार उपकरण: माडेम, राइटर, स्विचेज इत्यादि
- ग उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स: टीवी, डीवीडी प्लेयर्स, डिजिटल कैमरे, सेट टॉप बॉक्सेज इत्यादि
- घ आटोमोबाइल इलेक्ट्रानिक्स: विद्युत वाहन, पावर विन्डो इत्यादि
- च औद्योगिक इलेक्ट्रानिक्स: पावर इलेक्ट्रानिक्स, एल.ई.डी. लाइटिंग, सीएफएल, एनर्जी मीटर इत्यादि
- छ सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली एवं हार्डवेयर: डेस्कटॉप, नोटबुक, टैबलेट, मॉनीटर्स, मेमोरी कार्ड इत्यादि
- ज अन्य इलेक्ट्रानिक्स: एयरोस्पेस, रक्षा उपकरण सहित सामरिक उपकरण

इलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट्स

- अ एक्टिव कम्पोनेन्ट्स: ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स तथा सी.आर.टी
- ब पैसिव कम्पोनेन्ट्स: रेजिस्टर्स तथा कैपेसिटर्स
- स इलेक्ट्रोमेकेनिकल कम्पोनेन्ट्स: पीसीबी, पावर डिवाइसेज, रिले इत्यादि

सेमीकन्डक्टर डिजाइन

- अ एम्बेडेड साफ्टवेयर डेवलपमेंट
- ब वीएलएसआई डिजाइन
- स हार्डवेयर/बोर्ड डिजाइन

इलेक्ट्रानिक्स मैनुफैक्चरिंग सर्विसेज (ई.एम.एस.)

मूल उपकरण निर्माताओं (ओ.ई.एम.) के लिए इलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट्स तथा असेम्बलीज की डिजाइनिंग, टेस्टिंग, निर्माण, वितरण एवं अनुरक्षण।

2 फ़ैब इकाई

फ़ैब इकाई वह सेमीकण्डक्टर संरचना सँयंत्र है, जहाँ इण्टीग्रेटेड सर्किट्स (ICs) चिप जैसी सामग्री निर्मित होती है।

3 एम.एस.एम.ई.- सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (Micro, Small and Medium Enterprises)

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार

- सूक्ष्म उद्योग- वह उद्योग जिसमें मशीनों एवं उपकरणों पर पूँजी निवेश 25 लाख रुपये से अधिक न हो।
- लघु उद्योग- वह उद्योग जिसमें मशीनों एवं उपकरणों पर पूँजी निवेश 25 लाख रुपये से अधिक किन्तु रु 5 करोड़ से अधिक न हो।
- मध्यम उद्योग- वह उद्योग जिसमें मशीनों एवं उपकरणों पर पूँजी निवेश 5 करोड़ रुपये से अधिक किन्तु रु 10 करोड़ से अधिक न हो।
- बृहद उद्योग- वह उद्योग जिसमें मशीनों एवं उपकरणों पर पूँजी निवेश 10 करोड़ रुपये से अधिक किन्तु रु 50 करोड़ से अधिक न हो।

4 इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ई.एम.सी)

ई.एम.सी. विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing Zone) के सदस्य ही होंगे जो इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम्स डिजाइन तथा विनिर्माण (ई.एस.डी.एम.) क्षेत्र के संवर्धन को बढ़ावा देंगे।

ये क्लस्टर उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स, विद्युतीकरण, पावर इलेक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर/सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार एवं इसी प्रकार के अन्य विभिन्न उपकरणों उनकी पूरी श्रृंखला के लिए इलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट्स, पार्ट्स, सब-असेम्बलीज, सामग्री के विनिर्माण हेतु लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्यमों की स्थापना की सुगमता हेतु हैं।

5 बैंक/ वित्तीय संस्थान

समस्त अधिसूचित बैंक इसके अन्तर्गत आयेंगे। सभी वित्तीय संस्थान जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित हैं और जिनका नियमन उसके द्वारा किया जाता है, इसके अन्तर्गत आयेंगे।

6 ई.एम.सी. स्पेशल परपज वेहिकल (ई.एम.सी.एस.पी.वी.)

ई.एम.सी. स्पेशल परपज वेहिकल का गठन यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड/ सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन किसी अन्य सार्वजनिक उपक्रम तथा उद्योग संघों एवं इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना हेतु संघ-सदस्यों के मध्य किया जायेगा।

7 राज्य अधिकरण

- विकास प्राधिकरण
- आवास परिषद
- उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम
- सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य की अन्य संस्था

8 डीवीवीएनएल/ एमवीवीएनएल/ पीवीवीएनएल/ पीयूवीवीएनएल

उत्तर प्रदेश स्थित विभिन्न विद्युत वितरण इकाइयां हैं जो राज्य के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं:-

- डीवीवीएनएल - दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०
एमवीवीएनएल - मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०
पीवीवीएनएल - पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
पीयूवीवीएनएल - पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०

2- अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त परिभाषा के अन्तर्गत शासन द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 के अनुसार इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण उद्योग के अन्तर्गत सम्मिलित उद्योगों को अनुमन्य समस्त सुविधायें नियमानुसार उपलब्ध होंगी।

भवदीय,

(जी०एस० नवीन कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-1216 (1)/78-1-2014तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 2 प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

- 3 प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं भौद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4 कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5 समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 6 प्रमुख सचिव, आवास एवं विकास विभाग को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ, समस्त विकास प्राधिकरणों एवं उ०प्र० आवास विकास परिषद को अपने स्तर से भी पारिचालित करने का कष्ट करें।
- 7 प्रमुख सचिव, श्रम, उ०प्र० शासन।
- 8- प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु मध्यम एवं उद्यम विभाग, उ०प्र० शासन।
- 9 प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन, उ०प्र० शासन।
- 10 समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०
- 11 कार्यकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
- 12 निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ०प्र० शासन।
- 13 प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, अपट्रान इण्डिया लि०, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि० एवं श्रीट्रान इण्डिया लि०, लखनऊ।
- 14 गार्डफाइल।

आज्ञा से,



(हरिराम)

अनु सचिव।